भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

<u>प्रेस नोट</u>

दिनांक 15 सितंबर, 2014

आज केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम को अनुमोदित कर दिया। यह 15 अगस्त, 2014 को लालकिले की प्राचीर से उद्घोषित "मेक इन इंडिया'' नामक प्रधान मंत्री के विजन के तहत की गई पहलों की श्रृंखला में प्रथम स्कीम है। यह स्कीम प्राप्त अनुभव के आधार पर सम्पन्न होगी।

2. केपिटल गुड्स अथवा औद्योगिक मशीनरी के रूप में विख्यात गुड्स देश के विनिर्माण रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। केपिटल गुड्स सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र प्रौद्योगिकियों का कारक है। यह क्षेत्र स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए "मेक इन इण्डिया'' पहल की रणनीति है।

3. यह देश के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। इस उद्योग का आकार करीब 300,000 करोड़ प्रतिवर्ष है, जिसमें 1,85,000 करोड़ से अधिक का उत्पादन भारत में होता है और करीब 1,15,000 करोड़ का आयात किया जाता है। इस स्कीम में बड़े आयातों को नियंत्रित करने की परिकल्पना की गई है।

4. 80% से अधिक इकाईयां लघु और मध्यम आकार के उद्यम हैं। विश्व स्तर की तुलना में इन उद्यमों का आकार छोटा होने के कारण इनके पास नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने की सीमित क्षमताएं हैं। अतः सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। प्रौद्योगिकी इस सेक्टर का कमजोर पक्ष है।

5. यह स्कीम इस क्षेत्र सरकार का अद्वीतीय हस्तक्षेप है। यह प्रायोगिक पैमाने पर है। इस स्कीम में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास का प्रयास किया गया है। ये प्रौद्योगिकियां मुख्यतः वाणिज्यक प्रतिबंध का सामना कर रही हैं। आईआईटी और अन्य समान संस्थानों की मदद से विकास करने का प्रस्ताव है। कन्वर्जन परीक्षण, विकास और औद्योगिक क्षेत्र जैसी कॉमन सुविधाओं की लागत को भी कम करने का प्रस्ताव है।

6. इस स्कीम का उद्देश्य 930.96 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय से नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास और अधिग्रहण, कॉमन इंजीनियरी सुविधा केन्द्रों, क्षेत्र विशिष्ट एकीकृतऔद्योगिक सुविधा केन्द्रों और परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करके भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। इस स्कीम में 581.22 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन से आशा है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और विनिर्माण लागत से प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और आयात में कमी आएगी तथा निर्यात व रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी।

7. इस स्कीम के सरकारी सहायता और उद्योग के योगदान सहित पांच घटक हैं। इसका पहला घटक आईआईटी, दिल्ली, मुंबई, मद्रास और खड़गपुर तथा सीएमटीआई, बंगलौर के लिए पांच उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना। इससे उन प्रौद्योगिकियों का विकास होगा जो हस्तान्तरण और अधिग्रहण के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

8. दूसरा घटक मुख्यतः मशीन टूल्स सेक्टर के लिए एक एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करने से संबंधित है। इससे कच्चे माल से तैयार उत्पादों में कन्वर्जन लागत को कम करने में मदद मिलेगी, परिणामस्वरूप, भारतीय मशीन टूल्स सेक्टर विश्व स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

9. तीसरा घटक दो कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने से संबंधित है। एक सूरत में टेक्सटाइल मशीनों और सामान्य इंजीनियरिंग मशीनों तथा दूसरा किसी अन्य अनुवर्ती स्थल पर।

10. अर्थ मूविंग और कन्स्ट्रक्शन मशीनों की सुरक्षा और निष्पादन के लिए एक परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र भी इस स्कीम में शामिल है।

11. एस.एम.ई. की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम की स्थापना करके एक छोटी सी शुरूआत की जा रही है।

12. यह स्कीम वैश्विक प्रतिस्पर्धा की लंबी यात्रा में पहला कदम है विशेषकर हमारे छोटे पैमाने वाले सेक्टर हेतु, जो विनिर्माण अर्थव्यस्था की रीढ़ है और 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा होंगे जो इससे अधिकतम लाभ उठाएंगे।

13. इस प्रकार की पहलों से भारत के मेक इन इंडिया ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगा।